

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उनवान सरकार बनाम हरिभिरान बनाम हरिशंकर

नं
आ
हुक्
में

26/6/18

हरिभिरान

मुकदमा नं० ...126/17..... निर्णय दि०.....

पत्रावली लोक अदालत कृष्ण लिवराय मे
पेश हुई। वकील व प्रार्थी उपर। वकील -
प्रार्थी का सुना गया। पत्रावली का अवलोकन
ठिया। बहस का मनन ठिया।

प्रार्थी केसाई सुविधा का सन्तुलन
प्रार्थी के हक में साबित नहीं होने के
कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी
निश्चयज्ञान स्वारीज की जागी है पत्रावली
कैसल शुमार होकर नम्बर से छम है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
कृष्ण कौट लिवराय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौला)